प्रेस विज्ञप्ति

**13.02.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने 12/02/2025 को पंचकूला में एक-एक आवासीय और औद्योगिक भूखंड, गुरुग्राम में एक फ्लैट, मोहाली और गुरुग्राम में दो दुकानें, धनबाद में आवासीय और व्यावसायिक परिसर और कोलकाता और रांची में स्थित दो फ्लैटों के रूप में 33.65 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां मेसर्स तिरुपति रोडवेज के मालिक गुरप्रीत सिंह सभरवाल, श्रीमती रवनीत सभरवाल पत्नी गुरप्रीत सिंह सभरवाल और सुश्री तृप्ता सभरवाल सुपुत्री गुरप्रीत सभरवाल की हैं।

ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (पूर्व में राज्य सतर्कता ब्यूरो के नाम से ज्ञात), पंचकूला, हरियाणा द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 1860, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन अधिनियम) 1957 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स तिरुपति रोडवेज, उसके मालिक तथा खनन एवं भूविज्ञान विभाग, पंचकूला, हरियाणा के अधिकारियों एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि गुरप्रीत सिंह सभरवाल ने मेसर्स तिरुपति रोडवेज के माध्यम से अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधियों से अपराध के आगम (पीओसी) उत्पन्न किए। श्री गुरप्रीत सिंह सभरवाल ने मेसर्स तिरुपति रोडवेज को आवंटित खदानों में अवैध खनन के माध्यम से उत्पन्न पीओसी के प्लेसमेंट, लेयरिंग और एकीकरण के लिए अपने, अपने परिवार के सदस्यों, अपने और अपने करीबी सहयोगियों के कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया। मेसर्स तिरुपति रोडवेज द्वारा अवैध खनन के माध्यम से नकदी में उत्पन्न पीओसी की पर्याप्त मात्रा सीधे कई बैंक खातों में जमा की जाती थी। गुरप्रीत सिंह सभरवाल नकदी में उत्पन्न पीओसी के बदले कई असंबंधित व्यक्तियों से बैंकिंग लेनदेन की व्यवस्था करता था और धन की उत्पत्ति को छिपाने के लिए लेनदेन के चक्रव्यूह के माध्यम से उसे लेयर करता था और अंततः अपने परिवार के सदस्यों और अपनी संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर देता था।

आगे की जांच जारी है।